न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 63/12

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रार्थी

बनाम

पालाराम पुत्र श्री रामरख जाति नायक निवासी हुणतपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। (पालोबाई से दिनांक 07–12–2006 को खरीद)

अप्रार्थी (खरीददार)

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(1–क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से(उपस्थित नहीं)

आदेश

दिनांक : 05–07–17

प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर न्यायालय द्वारा अपील सं0 233/08 अनवान पालाराम बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 30–10–12 के अनुसरण में रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

सक्षेंप में प्रकरण का सार इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, सादुलशहर ने जिला कलक्टर, श्री गंगानगर को दिनांक 12–4–83 को एक आवेदन पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13(ए) संशोधन अध्यादेश 1983 के अन्तर्गत प्रेषित कर निवेदन किया कि चक 6 बी एन डब्ल्यू के मुरब्बा नं0 12 प0 नं0 4/135 के किला नं0 1 से 22 की 22 बीघा भूमि गोपाल पुत्र मोटाराम मेघवाल को दिनांक 6–4–57 को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17–02–75 के द्वारा लक्ष्मण द्वारा क्रय की गई है। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 24–4–84 को पत्रावली कायम जिला कलक्टर न्यायालय में कायम की गई। विधिक कार्यवाही के उपरांत दिनांक 19–03–02 को विवादित भूमि को रिज्यूम करने के आदेश पारित हुए। लक्ष्मण राम द्वारा क्रय की गई भूमि की सम्मन फीस निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाई है, जिसके विरूद्व नूरी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 103/02 पेश की गई जो दिनांक31–01–04 को स्वीकार की जाकर, प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 27–3–2004 को पत्रावली कायम की गई और प्रार्थिया नूरी बाई को स्वंय की रिस्क पर सम्मन फीस जमा कराने के आदेश दिये गये। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31–03–08 को विवादित को इस आधार पर रिज्यूम करने के आदेश दिये गये कि लक्ष्मण राम द्वारा बिना स्वीकृति भूमि को क्रय किया गया है। लक्ष्मण राम को इस भूमि को आगे बेचने का अधिकार नहीं था। उक्त आदेश के विरूद्व पालाराम द्वारा माननीय राजस्व अपील

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उनके निर्णय दिनांक 30–10–12 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है।

रिमाण्ड होकर प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पक्षकारान को तलब किया गया। रिमाण्ड आदेश के अनुसरण में आदेशिका दिनांक 20–12–12 के अनुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि की गणना हेतु रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 24–12–12 को प्राप्त हुई। दिनांक 24–12–12 को अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शमन फीस एवं ब्याज की राशि एक साथ जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा देय छूट दिये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर डी0आर0ए0 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट दिनांक 28–12–12 को प्राप्त हुई। उसी दिन चालान जारी करने के आदेश दिये गये तथा अप्रार्थी द्वारा जरिये चालान दिनांक 29–10–12 को 33000–00 शमनफीस के एवं 1,44,410–00 रूपये ब्याज के जमा करवा कर चालान की प्रतियॉ पेश की, जो पत्रावली में संलग्न हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के रिमाण्ड आदेश की पालना में डी0आर0ए0 की रिपोर्ट के उपरांत अप्रार्थी द्वारा जरिये चालान दिनांक 29–10–12 को 33000–00 शमन फीस के एवं 1,44,410–00 रूपये ब्याज के जमा करवायें है। जमा राशि का चालान शामिल पत्रावली है। भूमि का अंतरण प्रार्थी के पक्ष में आवंटन के सात वर्ष पश्चात् गैरखातेदारी के दौरान हुआ है। अलॉटी गोपाल पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल साकिन दुलापुर को चक 16 बी0एन0डब्ल्यू0 प0नं0 4/135 के कि0 नं0 1 से 22 कुल 22–00 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 4–6–57 को हुआ है। भूमि का बेचान लक्ष्मण पुत्र बिड़दाराम नायक साकिन दुलापुर को दिनांक 17–2–75 को हुआ है। अतः शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है। बेचान सात वर्ष के बाद का है। अतः प्रकरण नियमन योग्य है।

अप्रार्थी – खरीददार के अधिवक्ता को आवाजें लगाने पर बहस के दौराने उपस्थित नहीं हुए।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर की अपील सं0 233/08 में पारित आदेश दिनांक 30–10–12 के अनुसार विवादित भूमि अलॉटी गोपाल पुत्र श्री मोटाराम को दिनांक 4–6–57 को आवंटित हुई थी। गोपाल राम द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 17–2–75 को लक्ष्मणराम को बिना जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये विक्रय कर दी गई एवं उक्त प्रकरण लक्ष्मण राम के विरूद्व चला। लक्ष्मण राम द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 18–05–98 को नूरी बाई को विक्रय कर दिया। नूरी बाई द्वारा उक्त भूमि की वसीयत पालोबाई के पक्ष में दिनांक 18–12–98 को कर दी। पालोबाई द्वारा उक्त भूमि का विक्रय जरिये बैयनामा दिनांक 7–12–06 को अप्रार्थी पालाराम के पक्ष में कर दिया। उक्त बैयनामाजात अनूसूचित जाति से अनुसूचित जाति के मध्य हुए हैं एवं प्रथम बेचान जो दिनांक 17–2–75 को लक्ष्मणराम के पक्ष में हुआ था, उस समय जिला कलक्टर की अनुमति लेनी आवश्यक थी। दिनांक 22–04–1991 से पश्चात् पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 30–10–12 की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पालना में प्रथम बेचान दिनांक 17–2–75 के संबंध में शमन फीस व ब्याज की राशि जरिये चालान जमा हो चुकी है।

अतः उक्त अन्तरण को विधि मान्य घोषित करवाने के लिए डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 28–12–12 के अनुसार नियमन शुल्क राशि शमन फीस एक मुश्त 33000–00 रूपये एवं इस पर ब्याज 07–09–88 से 18 प्रतिशत की दर से 1,44,410–00 रूपये कुल 1,77,410–00 रूपये पृथक–2 चालान से दिनांक 29–12–12 से जमा हो चुके है। उक्त भूमि का अन्तरण हरिजन से स्वर्ण को नहीं हुआ है और न ही फ्रेगमेंट के रूप में अन्तरण हुआ है। अतः अंतरण विधिमान्य घोषित किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उक्त प्रथम अन्तरण दिनांक 17–02–75 आवंटन के सात वर्ष के पश्चात गैरखातेदारी के दौरान किया गया है। डी0आर0ए0 की रिपोर्ट दिनांक 29–12–12 के अनुसार शमन फीस एवं ब्याज की राशि एकमुश्त जमा हो चुकी है इसलिए धारा 13(1–ए) के तहत दिनांक 17–02–75 को अप्रार्थी (क्रेता) लक्ष्मणराम पुत्र बिड़दाराम नायक साकिन दुलापुर के पक्ष में हुए प्रथम अन्तरण को विधिमान्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन यदि खातेदारी सनद जारी हो चुकी हो तो किया जावे अन्यथा खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात् किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं एक प्रति अप्रार्थी पालाराम को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)